

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1400 FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांक: देहरादून 11 नवम्बर 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोली-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। FP/UK/HYD/22889/2016

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक दिनांक 30.09.2020 द्वारा वांछित सूचना।

महोदय,


विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 30.09.2020 के क्रम में चाही गयी सूचना उपनिदेशक, गोवन्दि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पत्रांक 366/12-1 दिनांक 22-10-2020 के अनुसार भारत सरकार द्वारा Digital map and KML File के सम्बन्ध में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन निम्न प्रकार है:-

1. पैरा 13 पार्ट 2 में अपलोड डिजिटल मैप में जाख 13बी एवं गुन्दियाट गांव 7ए (30 है०) को कास किया गया है एवं रतेड़ी 4, देवदुंग 3 को यथावत रखा गया है, जिसके स्थान पर तीन नये क्षतिपूरक स्थलों (रामा 4ए, जाख 13बी, जाख 8बी) 30 है० का चयन किया गया है।
2. KML File में संशोधन करके 50 है० (5 Sites) क्षतिपूरक वनीकरण भूमि को अपलोड कर दिया गया है।
3. कुल चयनित 5 क्षेत्र देवदुंग क०सं० 3 (10 है०), रतेड़ी क०सं० 4 (10 है०), जाख 13बी (10 है०), जाख 8बी (10 है०) एवं रामा 4ए (10 है०), कुल 50 है० क्षेत्रफल क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि यह वन भूमि झाड़ीयुक्त, ढालदार क्षेत्र है, जिससे विद्यमान वृक्षों के क्षेत्र आपस में मिलते हुये प्रतीत होते है जबकि क्षेत्र का वन घनत्व 0.4 से कम है। यह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(डी०जे०के० शर्मा) 10/11/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

०/८